रायपुर : गृहनिर्माण मंडल के हितग्राहियों को ऋण मिलने में होने वाली दिक्कतें होंगी दूर : बैंकर्स जल्द निपटायेंगे लंबित मामले

सामूहिक सहभागिता के बिजनेस मॉडल से जुड़ने का बैंकर्स को मंडल ने दिया प्रस्ताव

प्रमुख शहरों में आयोजित किए जाएंगे आवास मेले, डिविजन मुख्यालयों में लगाए जाएंगे कैंप

रायपुर, 16 जुलाई, 2013

छत्तीसगढ़ गृहनिर्माण मंडल के मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में हितग्राहियों को दी जा रही बैंकिंग सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के संबंध में अनेक निर्णय लिये गए। प्रदेश के विभिन्न बैंकों के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित आवासीय योजनाओं के हितग्राहियों के ऋण के लंबित मामले शीघ्रताशीघ्र हल करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए मंडल के विभिन्न डिविजनों में कैंप आयोजित करने के निर्णय लिये गए। लोगों को आवास की जरूरतें पूरा करने प्रदेश के बड़े शहरों में आवास मेला आयोजित करने तथा हाउसिंग एक्सप्रेस चलाने का निर्णय भी लिया गया। बैंकर्स के साथ भागीदारी के बिजनेस मॉडल पर चर्चा भी की गई। इसमें पेमेंट गेटवे, संपदा प्रबंधन तथा पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप) मॉडल पर चर्चा की गई। बैठक मंडल के अध्यक्ष श्री सुभाष राव एवं आयुक्त श्री सोनमणि बोरा की मौजूदगी में हुई।

बैंकर्स से चर्चा करते हुए श्री राव ने कहा कि प्रदेश के गरीब तबकों को आवास उपलब्ध कराना सामूहिक जिम्मेदारी है। वित्तीय संस्थाओं का यह धर्म है कि इस जिम्मेदारी को प्राथमिकता से निभायें। उन्होंने कहा कि ऋण चुकाने में आर्थिक रूप से कमजोर तबका अधिक प्रतिबद्ध रहा है। इस तबके को आगे बढ़ाने से बैंकर्स को एक उभरते हुए आर्थिक वर्ग का भरोसा प्राप्त होगा जिससे उनकी व्यावसायिक संभावनाओं में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक सहभागिता का मॉडल तैयार करना होगा। इसके लिए बैंकर्स को भी अपने प्रस्ताव देने होंगे। सामूहिक सहभागिता के मॉडल से हितग्राही, मंडल और बैंकर्स सबको लाभ मिलेगा।

बैंकर्स से चर्चा करते हुए आयुक्त श्री बोरा ने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत बनाए जाने वाले आवासों में हितग्राहियों को फाइनेंस किए जाने के संबंध में बैंकर्स को अधिक उदार होना चाहिए। आयुक्त ने कहा कि अटल आवास योजना, दीनदयाल आवास योजना तथा अटल विहार योजना के अंतर्गत काफी सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। मंडल ने अटल आवासों को भाड़ा क्रय पर देने का निर्णय भी लिया है। सब्सिडी के चलते इन योजनाओं में काफी कम ऋण राशि की दरकार ही हितग्राही को होती है। ऐसे में बैंकों को इनके मामले अविलंब निपटाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकर्स बड़े स्तर पर मंडल के हितग्राहियों को ऋण देते हैं। इस स्तर पर किए गए व्यवसाय को देखते हुए बैंकों को हितग्राहियों को विशेष सुविधाएँ दी जानी चाहिए। इसमें मंडल के हितग्राहियों के लिए प्रोसेसिंग फीस में छूट तथा ब्याज दरों में कमी जैसे प्रावधान शामिल हैं। आयुक्त ने कहा कि गृहनिर्माण मंडल से जुड़कर बैंकर्स अपनी व्यावसायिक संभावनाओं में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंडल ने 3.77 प्रतिशत के न्यूनतम स्थापना व्यय में पिछले वर्ष 646 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया है। इस वर्ष यह हजार करोड़ रुपए से आगे जाने की आशा है। बैंकर्स अगर मंडल के साथ सामूहिक सहभागिता के बिजनेस मॉडल में जुड़े तो उनके लिए काफी संभावनाएँ बनेंगी। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड अपनी नई

आवासीय परियोजनाओं में बैंकिंग भागीदार चिन्हित करेगा। इस बिजनेस मॉडल में पेमेंट गेटवे में भी शामिल होगा। इससे मंडल के हितग्राही को आनलाइन पेमेंट तथा अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि मंडल जल्द ही पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत मंडल की कॉलोनियों में क्लब हाउस, जिम, कैफेटेरिया, हेल्थ सेंटर, स्कूल आदि की सुविधाएँ आरंभ करेगा। इस अनूठे मॉडल में भागीदारी कर बैंकर्स भी अपनी व्यावसायिक संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर तक यह मॉडल अस्तित्व में आ जायेगा। आयुक्त ने बैंकर्स से सीएसआर मद के अंतर्गत भी मंडल की कॉलोनियों में सुविधाएँ उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी सुविधाओं से कॉलोनीवासियों को काफी लाभ मिलता है।

आयुक्त ने सभी बैंकों को 31 जुलाई तक गृह निर्माण मंडल के साथ एमओयू का प्रस्ताव भेजने भी कहा ताकि अगले महीने मुख्यमंत्री एवं आवास मंत्री के साथ बैंकों के उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में मंडल का एमओयू सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में उपस्थित सभी बैंकर्स ने आवास मेला में भाग लेने की इच्छा भी जताई। आवास के साथ-साथ पिछले वर्ष की तरह बोर्ड की कॉलोनियों में निःशुल्क भ्रमण के लिए अगस्त महीने में हाउसिंग एक्सप्रेस चलाये जाने की जानकारी भी आयुक्त ने दी।